



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21022023-243771
CG-DL-E-21022023-243771

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 755]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 21, 2023/फाल्गुन 2, 1944

No. 755]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 21, 2023/PHALGUNA 2, 1944

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली 20 फरवरी, 2023

का.आ. 787(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3463(अ) दिनांक 19 अगस्त 2021 जो भारत के साप्ताहिक राजपत्र संख्या. 3173 दिनांक 24 अगस्त 2021 में प्रकाशित की गई थी द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में कृष्णापटनम आंध्र प्रदेश से हैदराबाद तेलंगाना राज्य तक पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए कृष्णापटनम - हैदराबाद पाइपलाइन परियोजना के माध्यम से भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिये अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की दिनांक से केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगी।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगा और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद, दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

राजस्व विभाग - मिरयालागुडा

जिला - नलगोंडा

राज्य - तेलंगाना

1	2	3	4	5	6	7
मंडल:	ग्राम	सर्वे सं.	सब-डीव सं.	क्षेत्रफल		
				हेक्टेयर	आरे	वर्ग मीटर
निदामनुरु	गुन्टीपल्ली	195	--	00	33	29
		193	--	00	16	87
		182	--	00	33	05
		183	--	00	20	96
		183-नहर	--	00	04	55
		184	--	00	01	11
		180	--	00	46	14
		150-कच्चा-रास्ता	--	00	01	68
		150	--	00	41	44
		151	--	00	31	26
		143	--	00	13	57
		142	--	00	42	54
		142-नहर	--	00	01	85
		115	--	00	25	27
		138-कच्चा-रास्ता	--	00	02	84
		138	--	00	08	85
		137	--	00	33	50
		115	--	00	45	12
		116	--	00	12	26
		98	--	00	38	27
		98-नहर	--	00	00	19
		97-नहर	--	00	04	10
		96	--	00	09	07
		97	--	00	30	12

1	2	3	4	5	6	7
	गुन्टीपल्ली (जारी)	95	--	00	32	62
		92	--	00	11	52
		93	--	00	16	87
		89	--	00	09	52
		88	--	00	39	53
		63	--	00	30	19
		84	--	00	01	67
		66	--	00	00	17
		83	--	00	45	00
		83-सडक	--	00	01	47
		79-सडक	--	00	03	98
		79	--	00	26	38
		78	--	00	34	00
		77	--	00	09	06
		72	--	00	04	93
		72- नहर	--	00	01	43
		73- नहर	--	00	00	11
		73	--	00	44	30
निदामनुरु	येराबल्ली	339	--	00	34	08
		338	--	00	15	73
		337	--	00	33	00
		336	--	00	08	03
		335	--	00	26	04
		324	--	00	24	44
		नहर	--	00	03	86
		329	--	00	22	60
		325	--	00	12	31
		सडक	--	00	01	99
		182	--	00	21	76
		181	--	00	07	33
		180	--	00	28	59
		175	--	00	15	67
		170	--	00	00	10
		174	--	00	07	50
		173	--	00	14	08
		158	--	00	03	30

1	2	3	4	5	6	7
	येराबल्ली	159	--	00	37	53
	(जारी)	160	--	00	22	30
		कच्चा-रास्ता	--	00	01	94
		100	--	00	04	31
		95	--	00	27	30
		96	--	00	25	74
		92	--	00	19	91
		91	--	00	20	86
		90	--	00	20	60
		82	--	00	35	41
		70	--	00	28	27
		69	--	00	48	55
		नहर	--	00	02	59
		52	--	00	18	72
		46	--	00	17	24
		नहर	--	00	02	00
		44	--	00	00	09
		45	--	00	39	48
		कच्चा-रास्ता	--	00	00	47
		41	--	00	12	84
		43	--	00	03	07
		42	--	00	22	53
		33	--	00	12	74
		34	--	00	19	05

[फा. सं. आर- 11025(15)/2/2020-ओआर-I/ई- 33831]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th February, 2023

S.O. 787(E).—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. NO.3463 (E) dated the 19th August, 2021 issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition Under Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), published in the weekly Gazette of India Extraordinary No.3173, 24th August, 2021 the Central Government declared its intention to acquire the right of user in land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying Krishnapatnam - Hyderabad Pipeline for transportation of Petroleum products from Krishnapatnam (SPSR Nellore, Andhra Pradesh) to Hyderabad of Telangana state by Bharat Petroleum Corporation Limited.

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire the land under right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land, specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of the publication of the declaration, in Bharat Petroleum Corporation Limited, free from all encumbrances.

Bharat Petroleum Corporation Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P & MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline (Schedule annexed).

SCHEDULE

Revenue Division: Miryalaguda

District: Nalgonda

State: Telangana

1	2	3	4	5	6	7
Name of the Mandal	Name of the Village	Survey No.	Sub-Division No.	Area		
				Hectare	Are	Sq.mtr.
Nidamanur	Guntipalle	195	--	00	33	29
		193	--	00	16	87
		182	--	00	33	05
		183	--	00	20	96
		183-Unlined Canal	--	00	04	55
		184	--	00	01	11
		180	--	00	46	14
		150-Cart-Road	--	00	01	68
		150	--	00	41	44
		151	--	00	31	26
		143	--	00	13	57
		142	--	00	42	54
		142	--	00	01	85
		Unlined Canal	--	00	01	85
		115	--	00	25	27
		138 Cart-Track	--	00	02	84
		138	--	00	08	85
		137	--	00	33	50
		115	--	00	45	12
		116	--	00	12	26
		98	--	00	38	27
		98-Canal	--	00	00	19
		97- Unlined Canal	--	00	04	10
		96	--	00	09	07
		97	--	00	30	12
		95	--	00	32	62
		92	--	00	11	52
		93	--	00	16	87
		89	--	00	09	52
		88	--	00	39	53
		63	--	00	30	19
		84	--	00	01	67
		66	--	00	00	17
		83	--	00	45	00
		83- Road	--	00	01	47
		79- Road	--	00	03	98
		79	--	00	26	38
		78	--	00	34	00

1	2	3	4	5	6	7
	Guntipalle (Cont.)	77	--	00	09	06
		72	--	00	04	93
		72- Unlined Canal	--	00	01	43
		73- Unlined Canal	--	00	00	11
		73	--	00	44	30
Nidamanur	Yerraballi	339	--	00	34	08
		338	--	00	15	73
		337	--	00	33	00
		336	--	00	08	03
		335	--	00	26	04
		324	--	00	24	44
		Canal	--	00	03	86
		329	--	00	22	60
		325	--	00	12	31
		Murram Road	--	00	01	99
		182	--	00	21	76
		181	--	00	07	33
		180	--	00	28	59
		175	--	00	15	67
		170	--	00	00	10
		174	--	00	07	50
		173	--	00	14	08
		158	--	00	03	30
		159	--	00	37	53
		160	--	00	22	30
		Cart Track	--	00	01	94
		100	--	00	04	31
		95	--	00	27	30
		96	--	00	25	74
		92	--	00	19	91
		91	--	00	20	86
		90	--	00	20	60
		82	--	00	35	41
		70	--	00	28	27
		69	--	00	48	55
		Unlined Canal	--	00	02	59
		52	--	00	18	72
		46	--	00	17	24
		Unlined Canal	--	00	02	00
		44	--	00	00	09
		45	--	00	39	48
		Cart-Road	--	00	00	47
		41	--	00	12	84
		43	--	00	03	07
		42	--	00	22	53
		33	--	00	12	74
		34	--	00	19	05

[F. No. R-11025(15)/2020-OR-1/E-33831]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.